न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 02/2015 (राजस्व अपील)
RCMS No. 2015/00028

अनवान

1. स्व0 श्री पुरूषोत्तम पिता ऊंकार जी गरू के बजाय–

   1/1 श्री नन्दलाल पिता स्व. पुरूषोत्तम गरू, निवासी–झल्लारा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

   1/2 श्रीमती हेमलता पत्नि विष्णुकुमार पुत्री स्व. पुरूषोत्तम गरू, निवासी– थाणा, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

2. श्री मदनलाल पिता मनसाराम गरू, निवासी–झल्लारा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
3. श्रीमती धापूबाई पत्नि मनसाराम गरू, निवासी–झल्लारा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री कालुलाल पिता मोगचंद जैन, निवासी–झल्लारा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार सलुम्बर, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।

– रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री आलोक जैन, अधिवक्ता अपीलान्ट्स।
2. श्री रोशनलाल जैन, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार सलुम्बर, प्र.स. राजस्व/98 दिनांक 07.10.1998

* निर्णय *

दिनांक– 17-01-2020

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने इस न्यायालय मे अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर निर्णय दिनांक 07.10.1998 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मूल पुरूष श्री मोगा पिता दल्ला गुरू थे, उनके एक लड़का श्री ऊंकार गरू व दो लड़के श्री पुरूषोत्तमलाल गरू जो अपीलान्ट्स संख्या 1 व दुसरा पुत्र श्री मनसाराम गरू फोत हो चुके है, जिनके वारिस अपीलान्ट्स संख्या 2 व 3 हैं। मामले मे मौजा झल्लारा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर मे स्थित साबिक आराजी संख्या 546 रकबा 11 बिस्वा भूमि स्थित थी, जो अपीलान्ट्स के पूर्वाधिकारी श्री मोगा पिता दल्ला गरू के नाम से राजस्व जमाबंदी संवत् 2016–2019 मे दर्ज थी एवं इसी जमाबंदी मे नामान्तरकरण संख्या 113 दिनांक 25.07.1960 विरासत से श्री मोगा के पुत्र श्री उंकार के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई एवं इसी जमाबंदी मे नामान्तरकरण संख्या 122 से

उक्त भूमि अपीलान्ट्स के पूर्वाधिकारी श्री ऊंकार गरू के नाम से हटाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्री कालुलाल के पिता श्री मोगचंद जैन जो वक्त नामान्तरकरण तत्कालीन सरपंच भी था, ने गलत सूचना के आधार पर उक्त भूमि को मौखिक रूप से श्री ऊंकार द्वारा विक्रय बताकर एवं साथ मे नामान्तरकरण मे रूपये 35/– मे रहन बताकर भूमि को अपने नाम दर्ज करने की स्वीकृति प्राप्त कर भूमि अपने नाम दर्ज कर ली। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अथवा उसके पिता का कथित आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा। अपीलान्ट्स जाति से गरू होकर अनुसूचित जाति के है एवं उनकी भूमि सवर्ण (महाजन) के नाम पर ट्रांसफर नहीं हो सकती है एवं मौखिक बिकाव के आधार पर कोई नामान्तरकरण नहीं खोला जा सकता हैं। इसी के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तहसीलदार से मिलकर कथित आराजी संख्या 1190 रकबा 1200 वर्गमीटर को कृषि से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करा लिया। उक्त रूपान्तरण आदेश की कोई पत्रावली तहसील कार्यालय सलुम्बर के रेकर्ड मे उपलब्ध नहीं हैं। जब भूमि के नामान्तरकरण से संबंधित समस्त कार्यवाही ही मिथ्या थी, तो इसके आधार पर किया गया संपरिवर्तन भी प्रथम दृष्ट्या विधि विरूद्ध है। इस प्रकार सम्परिवर्तन के संबंध मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गई समस्त कार्यवाही गलत एवं विधि विरूद्ध होने से संपरिवर्तन आदेश दिनांक 07.10.1998 निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर द्वारा पारित कृषि से आवासीय संपरिवर्तन आदेश दिनांक 07.10.1998 को निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट्स द्वारा अपील के साथ धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र कर निवेदन किया कि विवादग्रस्त भूमि अपीलान्ट्स की मौरूसी सम्पत्ति होकर अपीलान्ट्स के पूर्वाधिकारी श्री ऊंकार पिता मोगा गरू के नाम दर्ज थी। तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर विधि विरूद्ध खोले गये नामान्तरकरण संख्या 122 के आधार विपक्षी के खाते दर्ज हुई भूमि का नियम विरूद्ध कृषि से आवासीय रूपान्तरण किया है। चूंकि उक्त नामान्तरकरण संख्या 122 मौखिक बिकाव के आधार पर खोला गया है। अतः मामले मे संपरिवर्तन आदेश के विरूद्ध अपील दर्ज रजिस्टर करा रेस्पोडेन्ट के नाम नोटिस जारी करने का आदेश प्रदान करावें। अपीलान्ट्स अधिवक्ता द्वारा मयाद कण्ड़ोन किये जाने बाबत धारा–5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। मामले मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री रोशनलाल जैन अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र पेश कर मामले मे अपीलान्ट्स अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा.दी. पर जवाब पेश किया कि अपीलान्ट्स जिस भूमि को विवादग्रस्त बताते है, वह भूमि विवादग्रस्त न होकर विपक्षी संख्या 1 के पिता द्वारा विक्रय प्रतिफल देकर संवत् 2011 मे क्रय की है, जिसे लगभग 61 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है। यह भूमि विवादग्रस्त नहीं है एवं न ही अपीलान्ट्स की मौरूसी जायदाद है। भूमि पूर्णतया विपक्षी संख्या 1 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की हैं। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सलुम्बर द्वारा संपरिवर्तित भूमि उनके द्वारा अपने पदीय अधिकार के तहत रूपान्तरित की है। अपीलान्ट्स के पूर्वाधिकारी श्री ऊंकार पिता मोगजी गरू ने राशि 35/– प्राप्त कर आराजी संख्या 546 रकबा 11 बिस्वा भूमि विपक्षी के पिता श्री मोगचंद

जैन को विक्रय कर दी थी, जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 122 से भूमि विपक्षी के पिता श्री मोगचन्द जैन के नाम पर दर्ज हुई। विवादित आराजीयात पर पिछले 60 वर्षो से भी अधिक समय से विपक्षी का कब्जा है। उक्त भूमि कृषि न होकर आबादी संपरिवर्तित हो चुकी है। अपीलान्ट्स का कथन है कि उक्त संपरिवर्तन मे अपीलान्ट्स को पक्षकार नहीं बनाया गया है। चूंकि उक्त भूमि की किस्म आबादी होकर विपक्षी संख्या 1 के स्वामित्व मे है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट्स को पक्षकार बनाये जाने प्रश्न ही पैदा नही होता हैं। अतः अपीलान्ट्स का द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा.दी. अस्वीकार किया जाकर अपील को इसी स्टेज पर खारिज किया जावें। मामले मे अपीलान्ट्स अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पर विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता के पक्ष मे खोला गया नामान्तरकरण 55–56 वर्ष पुराना होने एवं वर्तमान मे विपक्षी संख्या 1 का स्वामित्व होने से मयाद कण्ड़ोन न करने हेतु अनुरोध किया।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर से रूपान्तरण से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक राजस्व/रूपा./न्याया. प्रक./2016–17/334 दिनांक 20.03.2017 द्वारा अवगत कराया कि मौजा झल्लारा, तहसील सलुम्बर की विवादित आराजी संख्या 1190 रकबा 1200 वर्गमीटर भूमि के कृषि से आवासीय रूपान्तरण से संबंधित पत्रावली कार्यालय के कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ दर्ज प्रकरण रजिस्टर वर्ष 1998 मे कहीं भी दर्ज नहीं है। तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट उपरान्त बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। मामले में अभय पक्ष द्वारा समस्त प्रार्थना पत्रों एवं मूल अपील पर बहस हेतु अनुरोध करने पर मामले में सर्वप्रथम धारा–5 मयाद अधिनियम पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट्स अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत धारा–5, मयाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पर बहस प्रारम्भ करते हुये अपीलान्ट्स अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अनुसूचित जाति से भूमि सवर्ण के नाम पर स्थानान्तरित नही होती है, किन्तु विपक्षी संख्या–1 के पिता द्वारा अपने सरपंच पद का दुरूपयोग कर भूमि का स्वयं के नाम पर मौखिक बिकाव दर्शाते हुए नामान्तरकरण खुलवा लिया एवं उसी आधार पर समपरिवर्तन की कार्यवाही की गयी है। अपीलान्ट्स को अधिनस्थ न्यायालय से दस्तावेज की नकल दिनांक 08.06.2015 को प्राप्त हुयी है एवं उसी आधार पर अपीलान्ट्स द्वारा इस न्यायालय में अपील पेश की है एवं अवैध एवं मिथ्या आदेश को किसी भी समय न्यायालय में चुनोती दी जा सकती है। अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5, मयाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब की अवधि को न्यायहित मे कांडोन किया जावे। अपीलान्ट्स अधिवक्ता द्वारा इस सम्बन्ध में आर.आर.टी. 2018–19 पृष्ठ 145 की प्रति न्यायिक दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत की। विपक्षी संख्या–1 के अधिवक्ता द्वारा नामान्तरकरण 60 वर्ष से पुराना होने एवं सम्परिवर्तन राजस्व अभिलेखों के अनुसार विधिनुकुल होने, भूमि की किस्म आबादी होना, विपक्षी संख्या–1 के स्वामित्व की होने आदि आधारों पर ऐसे विलम्ब को कंडोन नही किये जाने बाबत् अनुरोध किया।

मामले में अपीलान्ट्स अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मयाद अधिनियम पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुनने के उपरांत पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो के गम्भीरतापूर्वक अवलोकन उपरांत अपीलान्ट्स अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के परिपेक्ष्य में न्यायहित में विलम्ब की अवधि को कंडोन किया जाकर धारा 96 एवं अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत मूल अपील पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट्स अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ करते हुए अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए भूमि की प्रारम्भिक किस्म कृषि होना, अपीलान्ट्स के पूर्वाधिकारी के नाम पर दर्ज होना, विपक्षी संख्या–1 के पिता श्री मोगचन्द जैन द्वारा तत्समय अपने सरपंच पद का दुरूपयोग करते हुये अनुसूचित जाति की भूमि का मौखिक बिकाव दर्शाते हुये सवर्ण के नाम भूमि का हस्तानान्तरण करना, सम्परिवर्तन का कोई रेकर्ड अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सलुम्बर में उपलब्ध न होना, नामान्तरकरण संख्या 122 मे धारा 42 का उल्लघंन होना अवगत कराया। अपीलान्ट्स अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रकरण मे पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड अनुसार तहसीलदार के आदेश का नामान्तरकरण उपखण्ड़ अधिकारी के आदेश से खोले जाने का उल्लेख नामान्तरकरण मे किया गया है, जो प्रथम दृष्ट्या ही अनुचित हैं। संपरिवर्तन से संबंधित आदेश पर लगायी गई मोहर आदि भी फर्जी है एवं तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की पत्रावली का कोई रेकर्ड ही तहसील कार्यालय मे उपलब्ध नही है एवं दर्ज रजिस्टर मे भी इसका कोई उल्लेख नही है। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेज विपक्षी संख्या 1 एवं उनके अधिवक्ता द्वारा कूटरचित है। यदि इन लोगो के पास कोई प्रमाणित दस्तावेज हो तो इस न्यायालय मे पेश करें। विपक्षी संख्या 1 श्री कालुलाल पिता मोगचन्द जैन के पास न तो कोई चालान से जमा कराई गई राशि की रसीद उपलब्ध है और न ही इनका भूमि पर कोई टाईटल बनता हैं। मात्र जमाबंदी एवं नामान्तरकरण मे नाम दर्ज हो जाने से भूमि का टाईटल नही बनता है, टाईटल के लिये सेल डीड़ (बिकाव नामा) इत्यादि का होना अनिवार्य है, जैसा की आर.आर.टी. 2019 पृष्ठ संख्या 593 मे उल्लेखित हैं। इस प्रकार उक्त कृषि से आवासीय संपरिवर्तन आदेश दिनांक 07.10.1998 को खारिज किया जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी सलुम्बर को भी निर्देश प्रदान कराये जावे कि बिना दस्तावेज के मौखिक बिकाव के आधार पर खोले गये ऐसे नामान्तरकरण संख्या 122 को खारिज किया जावें।

बहस मे भाग लेते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने कथन किया कि मौजा झल्लारा, तहसील सलुम्बर की साबिक आराजी संख्या 546 रकबा 11 बिस्वा का अपीलान्ट्स के पिता श्री ऊंकार गरू के बजाय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता श्री मोगचंद जैन के नाम नामान्तरकरण संख्या 122 खोला गया। उक्त नामान्तरकरण से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट्स से अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी सलुम्बर मे अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 पेश कर रखी है, जिसका अपील संख्या 02/2015 होकर पेण्ड़िग हैं। अपीलान्ट्स ने इसी नामान्तरकरण को लेकर माननीय न्यायालय राजस्व मण्ड़ल, अजमेर मे एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 9, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत किया था, जिसके

मुकदमा संख्या प्रार्थना पत्र/एल.आर./2030/2016 होकर माननीय न्यायालय राजस्व मण्ड़ल अजमेर ने निर्णय दिनांक 20.09.2017 द्वारा वर्ष 2015 मे उपखण्ड़ अधिकारी सलुम्बर मे अपीलान्ट्स द्वारा अपील प्रस्तुत की जा चुकी होने के आशय से खारिज किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता श्री मोगचंद जैन का स्वर्गवास हो जाने के उपरान्त उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्री कालुलाल जैन पुत्र मोगचन्द जैन के नाम पर आई है एवं उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी की होने से ही उसके द्वारा उक्त भूमि को कृषि से आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित कराया हैं। उक्त संपरिवर्तन अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी सलुम्बर मे विचाराधीन नामान्तरकरण संख्या 122 की अपील के निर्णय से पूर्णतया प्रभावित है। अतः जब तक न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी सलुम्बर, जिला उदयपुर मे प्रकरण का निर्णय पारित नहीं हो जाता, तब तक इस मामले मे निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित नहीं हैं। मामले मे अपीलान्ट्स द्वारा पुलिस थाने मे दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. मे भी एफ.आर. लग चुकी है एवं एफ.आर. लग जाने से अपीलान्ट्स द्वारा लगाई गई एफ.आई.आर. कहीं भी स्टेण्ड़ नहीं करती हैं। इस न्यायालय मे मात्र संपरिवर्तन को चुनौती दी गई है एवं नामान्तरकरण संख्या 122 सही खोला जाने अथवा नहीं खोला जाने का निर्णय का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी सलुम्बर को है। बिना किसी आधार पर ऐसे रूपान्तरण को चुनौती दी जाना उचित नहीं हैं। मेरा भूमि पर स्वामित्व होने से एवं राजस्व अभिलेखो मे नाम दर्ज होने से ही भूमि का कृषि से आवासीय रूपान्तरण तहसीलदार सलुम्बर द्वारा किया गया हैं। यदि अपीलान्ट्स भूमि के स्वामी है तो संबंधित दस्तावेज पेश करे। अपीलान्ट्स द्वारा अपनी अपील के बताये गये सारे तथ्य मिथ्या हैं। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत धारा 96 का प्रार्थनापत्र एवं मूल अपील सव्यय खारिज की जावें।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी एवं अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील, धारा 96 के प्रार्थना पत्र, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के जवाब, अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सलुम्बर की रिपोर्ट, अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी सलुम्बर मे विचाराधीन नामान्तरकरण संख्या 122 से संबंधित अपील, न्यायिक दृष्टांत आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से अध्ययन किया। मामले के गंभीरतापूर्वक अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलान्ट्स के पिता से जरिये नामान्तरकरण संख्या 122 भूमि रेस्पोडेन्ट के पिता के खाते दर्ज हुई है, जिसमे मौखिक तौर पर बिकाव किये जाने का उल्लेख है। अपीलान्ट्स का यह कथन स्वीकार योग्य है कि मौखिक बिकाव के आधार पर कोई नामान्तरकरण नही खोला जा सकता है एवं कोई भी कृषि भूमि अनुसूचित जाति से सवर्ण के नाम पर नियमानुसार स्थानान्तरित नहीं हो सकती है। चूंकि भूमि अपीलान्ट्स द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग की होने, धारा 42 का उल्लंघन होने व मौखिक बिकाव मान्य न होने, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता का तत्समय सरपंच पद का दुरूपयोग करने आदि आधारो पर अपीलान्ट्स ने न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी सलुम्बर मे नामान्तरकरण संख्या 122 को निरस्त करने हेतु अपील पेश कर रखी है एवं इस संबंध मे निर्णय भी न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी सलुम्बर द्वारा ही पारित किया जाना है। विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते दर्ज हुई है एवं उसके द्वारा राजस्व अभिलेखों मे स्वयं का

नाम दर्ज होने से भूमि का संपरिवर्तन स्वयं के नाम कराया जाना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने जवाब मे उल्लेखित किया है, जो सही माना जा सकता है, किन्तु मामले मे मुख्य विचारणीय बिंदु यह है कि उक्त कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन से संबंधित कोई रेकर्ड अधिनस्थ न्यायालय तहसील सलुम्बर मे उपलब्ध न होना तहसीलदार सलुम्बर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 334 दिनांक 20.03.2017 द्वारा अवगत कराया है एवं कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण प्रकरण दर्ज रजिस्टर वर्ष 1998 मे भी उक्त प्रकरण कहीं दर्ज होने का उल्लेख नहीं है एवं संपरिवर्तन आदेश की छायाप्रति पर डिस्पेच नम्बर इत्यादि अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति मे मौजा झल्लारा की आराजी संख्या 1189 रकबा 0.1200 हेक्टेयर भूमि का कृषि से आवासीय प्रयोजनार्थ वास्तविक रूप से सम्परिवर्तन हुआ अथवा नहीं, सम्परिवर्तन शुल्क जमा हुआ अथवा नही आदि जांच का विषय है। इस प्रकार मामले मे नामान्तकरण संख्या 122 के संबंध मे अग्रिम निर्णय न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी सलुम्बर के स्तर पर पारित किया जाना है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा कराया गया कृषि से आवासीय संपरिवर्तन दिनांक 07.10.1998 भी न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी सलुम्बर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 122 के संबंध मे पारित किये जाने वाले उक्त निर्णय से पूर्णतया प्रभावित है, किन्तु उपरोक्त परिपेक्ष्य मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा कृषि से आवासीय प्रयोजनार्थ कराये गये कथित संपरिवर्तन आदेश की जांच की जाना भी नितान्त आवश्यक हैं।

अतः अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। मामले मे इस न्यायालय मे दर्ज प्रकरण न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी सलुम्बर, जिला उदयपुर मे दर्ज अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 122 के निर्णय से पूर्णतया प्रभावित है। यदि न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी सलुम्बर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 122 निरस्त किया जाता है तो उक्त संपरिवर्तन आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा एवं यदि उक्त संपरिवर्तन यथावत रखा जाता है तो भी इस संपरिवर्तन का कोई रेकर्ड तहसील कार्यालय सलुम्बर मे उपलब्ध न होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिससे यह सम्परिवर्तन संदिग्ध हैं। ऐसी स्थिति मे संपरिवर्तन आदेश की जांच की जाना आवश्यक होने से तहसीलदार सलुम्बर को निर्देश दिये जाते है कि वे उनके कार्यालय के रेकर्ड का उक्त कृषि से आवासीय रूपान्तरण आदेश से विधिनुसार 3 माह मे पूर्णतया विस्तृत जांच करे एवं यदि उक्त सम्परिवर्तन उनके कार्यालय स्तर पर जारी न किया जाना अथवा फर्जी हस्ताक्षर एवं मोहर से जारी किया जाना पाया जावे, तो मामले मे नियमानुसार दोषियों के विरूद्ध अविलम्ब कानूनी प्रकरण दर्ज कराया जावें। आबादी के नामान्तरकरण का उपखण्ड़ अधिकारी मे विचाराधीन अपील नामान्तरकरण पर कोई प्रभाव नही पड़ता है, ऐसी स्थिति मे उपखण्ड़ अधिकारी मामले मे सुनवाई हेतु स्वतंत्र है। न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी सलुम्बर मे विचाराधीन अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 122 के निर्णय उपरान्त यदि उभय पक्षकार चाहे तो पृथक से अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत कर सकते हैं।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.01.22 17:12:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: